ग्राम पंचायत, टिक्करी डसाकना, विकास खण्ड संगड़ाह ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक
भाग-I

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, टिक्करी डसाकना, विकास खण्ड संगड़ाह, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे;

(i) प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान का नाम	कार्यकाल
1	श्रीमती तोता देवी	23.01.2011 से 22.01.2015 तक
2	श्री बिलम सिंह	23.01.2016 से 31.03.18 तक

(ii) सचिव:-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री सतपाल शर्मा	01.04.2015 से 27.01.2016 तक
2.	श्री बलबीर सिंह	28.01.2016 से 28.04.2016 तक
3.	श्री लायक राम	29.04.2016 से 17.02.2017 तक
4.	श्री सतपाल शर्मा	18.02.2017 से 31.3.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत, टिक्करी डसाकना के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा नं	राशि (₹) लाखों में
1	रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान न करना	5(i)	विवरण

			पैरे में वर्णित है
2	गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	6(i)	0.13
3	अनुदानों की राशी उपयोग हेतु शेष	7	6.20
4	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ही सामग्री का क्रय करना	8	4.10
5	क्रय सामग्री की स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	9	4.10
6	निर्माण कार्यों के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	10(i)	27.70
7	अंकेक्षण अवधि में मनरेगा योजना के व्यय/भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करना	11	48.71
8	मस्ट्रोल बिलों का तकनीकी मूल्यांकन से अधिक भुगतान करना	12	0.26
9	निर्माण कार्यों में मूल्यांकित मात्रा से अधिक सामग्री खरीद उपयोग करना	13	0.02
10	वास्तविक देय भुगतान से अधिक राशि का आहरण करके राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	14	0.03
11	नियमानुसार उचित बिल प्राप्त किये बिना लाखों रूपये का अनियमित व्यय/भुगतान	15	4.10

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत टिक्करी डसाकना, विकास खण्ड संगड़ाह, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा अवधि 13.09.2018 से 25.09.2018 तक के दौरान ग्राम पंचायत टिक्करी डसाकना के कार्यालय में किया गया। आय एवं व्यय के लेखाओं का विस्तृत अंकेक्षण करने हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है;

वितीय वर्ष	आय माह	व्यय माह
2015-16	11/2015	08/2015
2016-17	06/2016	02/2017
2017-18	09/2017	09/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी

सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत टिक्करी डसाकना, विकास खण्ड संगड़ाह, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹6000** बनता है। जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जी.पी.(आडिट)/संगड़ाह/2018-19-15 दिनांक 25.09.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करी डसाकना से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

पंचायत सचिव द्वारा यथा **परिशिष्ट-1** प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत टिक्करी डसाकना की अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है:-

वितीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2015-16	574404.00	2579240.00	3153644.00	2511450.68	642193.32
2016-17	642193.32	3480672.80	4122866.12	2815715.00	1307151.12
2017-18	1307151.12	3325381.80	4632532.92	4013028.30	**619504.62**

नोट:-1. सचिव ग्राम पंचायत टिक्करी डसाकना द्वारा स्वः स्त्रोत का हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार पृथक से खाता-"क" खोलकर रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में स्वः स्त्रोत से सम्बन्धित वितीय स्थिति को अलग से प्रस्तुत नहीं किया जा सका I

नोट:-2 रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए थे I अतः बैंक पास बुकों के अनुसार दिनांक 01/04/15 के प्रारम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया |

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:-

(i) ग्राम पंचायत टिक्करी डसाकना की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व् बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002 के नियम 7(3) व 10(1)** के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था | अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है | दिनांक 31/03/2018 को रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्त शेष में निम्न विवरणानुसार **₹73** का अन्तर पाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए पंचायत् की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ

मिलान करके अन्तर का समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

क्रमांक	**विवरण**	**राशि (₹)**	**परिशिष्ट**
1.	वितीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	619504.62	1
2.	बचत बैंक खातों अनुसार व हस्तगत रोकड़ का अन्तिम शेष (निम्न विवरणानुसार)	630471.62	2
3.	कुल अन्तर	(-)10967.00	
4.	बैंक समाधान विवरणी अनुसार अन्तर	(+)11040.00	3
5.	**शेष असमाधान अन्तर की राशि**	**73.00**	

विभिन्न बचत बैंक खातों के अनुसार व हस्तगत रोकड़ का दिनांक 31.03.2018 को अन्तिम शेष का ब्यौरा

अनुदान	**बैंक का नाम**	**बचत खाता नं0**	**31.03.2018**
सामान्य निधि	HPSCB, Sangrah	56510102871	598230.62
BRGF	UCO, Haripurdhar	15150101103235	32166.00
		सामान्य निधि की रोकड़ बही अनुसार हस्तगत शेष	75.00
		बचत बैंक खातों में 31.03.18 को शेष राशि	**630471.62**

(ii) पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के प्रावधानों के अनुसार **रोकड़ बही** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था अर्थात इसमें न तो कोई इति शेष और न ही कोई अंतिम शेष दर्शाया गया था । ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन रोकड़ बही में पंचायत के बैंक खाते में मौजूद शेष राशि के बारे सूचना व आय-व्यय तालिका एंव तुलनपत्र की मदों की विश्वसनीयता भी सत्यापित की जा सकती तथा आंकड़ों में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः भविष्य में रोकड़ बही का उपरोक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार संधारण करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अन्केखं को अवगत करवाया जाए ।

6 स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय

(i) गृहकर की बकाया राशि ₹0.13 लाख वसूली शेष

सचिव ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: **GP(Audit)/Sangrah/Sangrah/-2018-19-3** दिनांक 13 .09.2018 के प्रतिउत्तर में पत्र **क्रमांक:DNTD-164/2018** दिनांक **25.09.2018** {क्रमांक

(2)} द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार गृहकर ₹13,300 की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी:-

वितीय वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर प्रति परिवार (₹)	कुल देय कर (₹)	प्राप्त राशि (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
01.04.15	**01.04.2015 को वसूली योग्य शेष राशि/मांग**				**NIL**
2015-16	233	25/-	5825/-	4775/-	1050/-
2016-17	242	25/-	6050/-	------	7100/-
2017-18	248	25/-	6200/-	------	13300/-
31.03.2018 को गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि					**13300/-**

अतः पंचायत राजस्व की वर्णित बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसकी शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ii) मांग एवम प्राप्ति पञ्जीका का संधारण न करना:-

सचिव, ग्राम पंचायत, द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व् 74 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए विहित फार्म-10 पर वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली सम्भावित आय से सम्बन्धित "मांग एंवम वसूली पंजिका" का संधारण नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण पंचायत को स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय की अंकेक्षण में पूर्ण सत्यापना सम्भव न हो सकी तथा ऐसी स्थिति में उपरोक्त पैरा संख्या 6 (i) में वसूली योग्य दर्शायी गई शेष राशि का कहीं अधिक होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके सम्बन्धित देय गृहकर की वसूली करना सुनिश्चित करने के अतिरिक्त उपरोक्त नियम की अनुपालना करते हुए "मांग एंवम वसूली पंजिका" का संधारण भी किया जाए ताकि पंचायत को स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय की हानि की सम्भावना को नकारा जा सके ।

(iii) गृहकर की वसूली दरें निर्धारित करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना तथा गृहकर की निरन्तर वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Sangrah/Sangrah/-2018-19-3 दिनांक 13.09.2018 के प्रतिउत्तर में पत्र क्रमांक: DNTD-164/2018 दिनांक 25.09.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली ₹25 . प्रतिवर्ष प्रति परिवार की दर से की जानी दर्शायी गई थी परन्तु पिछले कई वर्षो से गृहकर की वसूली दरों के निर्धारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में प्राप्त गृहकर का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I इसके अतिरिक्त उक्त कर की प्रतिवर्ष निरन्तर वसूली भी नहीं की जा रही थी जोकि उपरोक्त पैरा 6(i) में दी गई तालिका से स्वतः ही स्पष्ट है। अतः गृहकर की वसूली दरों को निर्धारित न करने तथा इसकी निरन्तर वसूली न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में गृहकर की वसूली दरों को नियमानुसार

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित करने के उपरान्त ही गृहकर की यथानुसार वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

7 अनुदान की राशि ₹6.20 लाख उपयोग हेतु शेष

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31/03/2018 तक अनुदानों से प्राप्त **₹6,19,504** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, परन्तु अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन होने से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदानो की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुपयोग अनुदान का सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये ।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.10 लाख का व्यय/भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(3)(a) 67(4) व 67(5) द्वारा स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है परन्तु चयनित माह के व्यय का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्नतालिकानुसार **₹4,09,887** की स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय/व्यय उपरोक्त नियमों के अनुसार विहित औपचारिकताओं जैसे निविदाएँ आमंत्रित करके व क्रय समिति गठित करके इत्यादि को पूर्ण किये बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है I अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे अब सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय नियमानुसार विहित प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूर्ण करके ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

दिनांक	बिल नं0	आपूर्तिकर्ता का नाम	क्रय सामग्री का विवरण	राशि (₹)
BRGF-{माह-08/2015}				
27.07.15	3804	M/S Bhushan & Sons	Sockets/Unions	2174/-
28.07.15	3808	------do------	46 GI Pipes	29898/-
29.07.15	3811	------do------	45 GI Pipes	29248/-

30.07.15	3815	------do------	45 GI Pipes	29248/-
-------	GR-13	Sita Ram, Beyong	1 Pickup Sand	4000/-
20.08.15	523	Sharma Trpt. Sangrah	1700 bricks	15000/-
08.08.15	GR-439	Chauhan Goods Carrier	1 Tipper sand	9000/-
------	कच्ची रसीद	Dayal Singh/Nariya	Carriage	14040/-
------	---do---	Bansi /Chanan Singh	10 चट्ठे पत्थर	10000/-
General Fund-{09/2017}				
08.09.17	247	M/S Bhushan & Sons	71kg steel pipe	28518/-
09.09.17	250	------do------	71kg steel pipe	28518/-
11.09.17	254	------do------	71kg steel pipe	28518/-
12.09.17	260	------do------	80kg steel pipe	28320/-
13.09.17	266	------do------	80kg steel pipe	28320/-
14.09.17	271	------do------	80kg steel pipe	28320/-
15.09.17	277	------do------	Sockets/Unions	16965/-
------	कच्ची रसीद	Naresh Kr./Devi Ram	7 चट्ठे पत्थर	14000/-
10.08.17	99	Babu Ram Bhalora	29 BPL Boards	5800/-
21.09.17	35	XPERPO Marketing	4 Solar lights	60000/-
			Total Expenditure:-	**409887/-**

9 क्रय सामग्री की स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना प्रावधित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत उपरोक्त **पैरा संख्या:8** में वर्णित तालिकानुसार क्रय की गई मदों की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किये बिना ही खपत दर्शायी गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है तथा संदिग्ध भी प्रतीत होती है। अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज करने के अतिरिक्त भविष्य में उपरोक्त नियम का निरन्तर अनुपालना करना भी सुनिश्चित किया जाए।

10 अंकेक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करना

(i). निर्माण कार्यों पर खर्च ₹27.70 लाख से सम्बन्धित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी मुल्यांकन इत्यादि

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94, 95, 97, 101 तथा 106 के प्रावधानानुसार पंचायत द्वारा चयनित माह में निष्पादित किये गए अधिकतर विकास कार्यो से सम्बन्धित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी मुल्यांकन/माप पुस्तिकाएं, कार्य पूर्ण होने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गए जबकि सचिव ग्राम पंचायत के पत्र **क्रमांक:DNTD-163/2018** दिनांक 25.09.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई निम्न

सूचना से स्वतः ही स्पष्ट होता है कि **₹2769505** का व्यय/बिना भुगतान तकनीकी मुल्यांकन के ही किया गया था जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है तथा ऐसे में राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता I अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए समस्त कार्यों का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से नियमानुसार मूल्यांकन करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा तत्पश्चात मूल्यांकन में यदि कोई अनियमित/अधिक भुगतान पाया जाता है तो सम्बन्धित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए और अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने सहित कृत कार्यवाही की आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना करवाई जाए I

अनुदान	अमुल्यांकित भुगतान/व्यय (₹)	विकास कार्य सूची क्रमांक
General Fund	819505/-	क्रमांक 1, 2, 3, 5, व् 6
MGNREGA	19,50,000/-	क्रमांक 1 से12 16, तथा 18
कुल राशि	**27,69,505/-**	**केवल चयनित माह के कार्य का**

(ii). मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख

मनरेगा योजना से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कार्य मांग पञ्जीका {Demand Register}, जॉब कार्ड पञ्जीकरण रजिस्टर, मस्ट्रोल जारी करने का रजिस्टर, निर्माण सामग्री जारी करने का रजिस्टर, सम्पति रजिस्टर इत्यादि अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके कारण सम्बन्धित व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए समस्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

11 मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय ₹48.71 लाख के लेन-देन को रोकड़ बही में दर्ज न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान मनरेगा योजना से सम्बन्धित रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई **Online Financial Statements** के अनुसार निम्नतालिकानुसार **₹48,71,106** का ऑनलाइन भुगतान किया गया था I वर्णित अभिलेख के अभाव में उक्त व्यय/भुगतान को ही आधार मानकर पंचायत की वितीय स्थिति में शामिल किया गया है:-

वितीय वर्ष	मजदूरी (₹)	सामग्री (₹)	कुल भुगतान (₹)
2015-16	926878/-	------	926878/-
2016-17	1902278/-	419073/-	2321351/-
2017-18	1616844/-	6033/-	1622877/-
कुल	**4446000/-**	**425106/-**	**4871106/-**

अतः उपरोक्त व्यय/भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, साथ ही अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बही को पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य में रोकड़ बही का नियमानुसार संधारण करना भी सुनिश्चित किया जाए ।

12 मस्ट्रोल बिलों पर तकनीकी मूल्यांकन की अपेक्षा ₹0.26 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान मस्ट्रोल बिलों का ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि मस्ट्रोल संख्या 2246 के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्य भू.संरक्षण जयपाल पुत्र श्री रामभज का तकनीकी प्राधिकारी द्वारा ₹38,420 मूल्यांकन किया गया था जबकि इसके विरुद्ध वितीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 की ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के अनुसार कुल ₹64,260 का ऑनलाइन भुगतान किया गया था जोकि मूल्यांकित राशि से ₹25,840 {64260-38420} अधिक होने के कारण गम्भीर वितीय अनियमितता हैI अतः तकनीकी मूल्यांकन से अधिक किये गए भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

13 निर्माण कार्यों के निष्पादन में निर्माण सामग्री की मूल्यांकित मात्रा से अधिक खरीद/उपयोग दर्शाकर ₹0.02 लाख का अनियमित व्यय करना

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की नमूना जाँच में पाया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत निष्पादित निर्माण कार्य "पक्का रास्ता हरिपुरधार से खानियाच" हेतु तकनीकी प्राधिकारी द्वारा {माप पुस्तिका संख्या:11584 पृष्ठ संख्या: 29, 31, 34, 41 व् 49} 110 बैग सीमेंट की खपत का मूल्यांकन किया गया था, जबकि पंचायत के अभिलेख के अनुसार उक्त कार्य के लिए ₹303.30 प्रति बैग की दर से 118 बैग की खरीद दर्शायी गई है जोकि तकनीकी मूल्यांकन से 8 बैग सीमेंट अधिक होने के कारण वर्णित निर्माण कार्य पर ₹2426 {8x303.30} का अनियमित व्यय किया गया है I अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पूर्ण छानबीन उपरान्त उपरोक्त राशि तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान ऐसे अन्य प्रकरणों की पंचायत स्तर पर सूची तैयार करके पाई गई अनियमित भुगतान/व्यय राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

14 वास्तविक भुगतान से ₹0.03 लाख अधिक आहरण करके आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन

सामान्य निधि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्यां: 28 पर दिनांक 15.03.2016 को चेक संख्यां: 575437 द्वारा ₹50,000 का आहरण किया गया था जिसके विरुद्ध **निर्माण गो-सदन टिक्करी डसाकना** के कार्य हेतु कुल **₹46860** {2002+3000+7608+11000+10000+1000+10000+2250} का ही व्यय/भुगतान दर्शाया गया परन्तु शेष **₹3140** {50000-46860} की राशि के

उपयोग बारे रोकड़ बही में कोई भी विवरण दर्ज नहीं पाया गया, जिसके कारण वर्णित अधिक आहरित राशि का दुर्विनियोजन हुआ प्रतीत होता है जिसकी पूर्ण छानबीन करके स्थिति स्पष्ट की जाए तथा दुर्विनियोजन पाए जाने की स्थिति में राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 नियमानुसार उचित बिल प्राप्त किये बिना कच्ची रसीद व् Goods Receipts Note पर ₹4.10 लाख का अनियमित व्यय/भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (i) व् (2) के प्रावधानों के विपरीत पंचायत द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या:8 वर्णित तालिका के अनुसार रेत, बजरी व् पत्थर की खरीद हेतु लाखों रूपये का भुगतान आपूर्तिकर्ता को कोरे कागज पर तैयार कच्ची रसीद या Goods Receipts Note{GR} को पारित करके दर्शाया गया था, जोकि आपूर्तिकर्ता के उचित बिल के आभाव में अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है। अतः उक्त प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जाँच की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए या तो आपूर्तिकर्ता से अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार से किये गए भुगतानों से सम्बन्धित उचित बिल प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा उक्त व्यय/भुगतान को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य के लिए इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत जाए।

16 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा विहित फार्म-11 मे पंचायत के आय-व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान उपरोक्त नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार व् पारित नहीं किया गया था जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है तथा इस प्रकार पंचायत द्वारा बजट प्राक्कलन अनुमोदित करवाए बिना किया गया समस्त व्यय भी अनियमित है, जिसे अब सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए और भविष्य मे बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार व् पारित करवाकर तदानुसार ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

17 प्राप्त अनुदानों की नियमानुसार रसीद जारी न करना

पंचायत के लेखाओं की नमूना जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों **{मुख्यतः RTGS/Online बैंक प्राप्तियों}** के लिए रसीद जारी नहीं की जा रही थी, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के

प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत से प्राप्त आय/अनुदान के लिए विहित प्रारूप 3 पर रसीद जारी करना आवश्यक है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार प्राप्ति की विहित प्रारूप 3 पर रसीद जारी करना सुनिश्चित किया जाए।

18 नियमानुसार विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया जा रहा था, जो कि गम्भीर अनियमितता है। अतः नियमानुसार उक्त अभिलेख का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

क्रमांक	वान्छित रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
2.	रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी
3.	चल अचल सम्पत्ति का रजिस्टर
4.	आकस्मिक व्यय रजिस्टर
5.	अग्रिमों का रजिस्टर
6.	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर
7.	प्राक्कलन, तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
8.	मांग व् प्राप्ति रजिस्टर
9.	स्टेशनरी रजिस्टर
10.	निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर
11.	इन्वेंटरी रजिस्टर

19 भण्डार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करना

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी पंचायत द्वारा अनुपालना नहीं की जा रही थी I अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

20 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह पृथक से जारी नही की गई थी अपितु सभी लघु आपतियों का स्थल पर निपटारा कर लिया गया था I

21 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है ।

हस्ता/–

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)37/2018 खण्ड–217–220 दिनांक 8.1.19
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड संगड़ाह, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करी डसाकना, विकास खण्ड संगडाह जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881